

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय)-सीकर

जगदीश

बनाम

झाबरमल

कदमा- आवेदन पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम

मु नं0-

29 वर्ष 2022

आज्ञा पत्र

23

पत्रावली आज दिनांक तारीख से पूर्व राज्य सरकार के मंहगाई राहत कैम्प-2023 के दौरान कैम्प ग्राम कोलिडा में पेश हुई। कैम्प के दौरान पक्षकारान के वकील उभय पक्ष उपस्थित। चूकि मूल वाद में निर्णय किया जा चुका है। अतः आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली फेशल शुमार होकर नंबर से कम हो।


सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर